न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या–115/2020

1. रूकमादेवी (पुत्री श्री देवीलाल पुत्र लूणाराम) धर्मपत्नी श्री तनसुख जाति जाट निवासी धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. शीशपाल
3. सुधीर
4. रीटारानी

पिसरान श्री दलवीर (माता स्व0 श्रीमति सन्तरो पुत्री श्री देवीलाल) जाति जाट निवासीगण शेरगढ़, तहसील डबवाली, जिला सिरसा (हरियाणा)।

––अपीलाण्ट/तृतीय पक्षकार

बनाम

1. श्रीमति राजेश्वरी धर्मपत्नी स्व0 श्री महावीर पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी चक 2 एसटीबी तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट/वादिया

2. देवीलाल पुत्र श्री लूणाराम जाति जाट निवासी चक 2 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राममूर्ति धर्मपत्नी स्व0 श्री भूपराम पुत्र श्री देवीलाल
4. निर्मला
5. राकेश
6. कान्ता

पिसरान स्व0 श्री भूपराम पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासीगण चक 2 एसटीबी तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

7. सुनील
8. पवन

पुत्रगण स्व0 श्री महावीर पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी 2 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

9. कृष्णलाल पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी चक 2 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण

11. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा चौहिलांवाली जरिये शाखा प्रबन्धक।
12. कुलदीप पुत्र श्री शंकरलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड नंबर 17, मण्डी पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पोडेंट

उपस्थित :–
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता ––अपीलाण्ट की ओर से
श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6
श्री भवानी सिंह निर्बाण अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट संख्या 12

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), पीलीबंगा, राजस्व वाद संख्या 271/2016 शीर्षक "श्रीमति राजेश्वरी बनाम देवीलाल आदि"

निर्णय दिनांक : 11.05.2023

1. अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), पीलीबंगा के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2018 के विरूद्ध तृतीय पक्षकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की है।
2. अपीलाण्ट ने अपनी अपील मीमो में इस प्रकरण से संबंधित अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 के परस्पर संबंधों को दर्शाते हुये वंशावली प्रस्तुत की है तथा यह कथन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 श्री देवीलाल के नाम दर्ज पैतृक कृषि भूमि चक 2 एसटीबी खाता संख्या 25/17 तादादी 6.452 हैक्टेयर के सम्बन्ध में इस आशय की घोषणा चाही कि उक्त भूमि में उसे 2.175 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। इस वादपत्र में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने देवीलाल के परिवार की वंशावली का भी उल्लेख किया जिसमें अपीलाण्ट भी दर्ज थे लेकिन वादपत्र में रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 9 ने दिनांक 06.09.2017 को परस्पर राजीनामा कर लिया तथा इस राजीनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.09.2018 को अपीलाधीन निर्णय व डिग्री पारित की है। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने बतौर तृतीय पक्षकार यह अपील प्रस्तुत की है तथा अपील में प्रमुख रूप से यह आधार लिये है कि देवीलाल के परिवार की वंशावली में अपीलाण्ट का नाम दर्ज करने के बावजूद रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपने वादपत्र में असद्भावना पूर्वक अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया। जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि चक 2 एसटीबी खाता संख्या 25/17 तादादी 6.452 हैक्टेयर भूमि पैतृक भूमि होने से अपीलाण्ट संख्या 1 व देवीलाल की मृत पुत्री श्रीमति सन्तरों के वारिसान अपीलाण्ट संख्या 2 से 4 का बतौर कोपार्सनर हक व हित नीहित था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन सन् 2005 के पश्चात् पुत्रियों का भी पुत्रों के समान पैतृक सम्पति में जन्मतः अधिकार नीहित होने से अपीलाण्ट इस वादपत्र में आवश्यक पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिग्री पारित करने से पूर्व देवीलाल की पुत्री एवं मृत पुत्री के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया। अपीलाण्ट ने यह कथन भी किया है कि उन्होनें श्री देवीलाल पुत्र श्री लूणाराम के नाम दर्ज प्रश्नगत पैतृक सम्पति में किसी प्रकार से अपना हक तर्क नही किया तथा कानूनन भी पैतृक सम्पति में हक का त्याग धारा 17 पंजीकरण अधिनियम के अनुसार एक पंजीकृत विलेख से ही हो सकता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 9 ने परस्पर षड़यंत्र रचकर अपीलाण्ट को उनके वैद्य हिस्सा से वंचित करने के आशय से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर अपीलाधीन डिग्री हासिल की है जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि चक 2 एसटीबी तादादी 6.452 हैक्टेयर जिसे स्वयं रेस्पोडेंट ने पैतृक सम्पति होना स्वीकार किया है, में अपीलाण्ट संख्या 1 का 1/6 हिस्सा 1.075 हैक्टेयर व अपीलाण्ट संख्या 2 से 4 का बहिस्सा बराबर 1.075 हैक्टेयर हिस्सा था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा में रेस्पोडेंट ने वैद्य हिस्सा से अधिक भूमि दर्शायी है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इस राजीनामा की वैद्यता के सम्बन्ध में कोई विवेचन न कर व न्यायिक विवेक का प्रयोग न कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध रूप से पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने वादपत्र को साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित भी नहीं किया है। अपीलाण्ट ने पैतृक सम्पति में उनके वैद्य अधिकारों से वंचित कर दिये जाने के कारण इस निर्णय व डिक्री से प्रभावित होकर धारा 96 सीपीसी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है तथा इस निर्णय व डिक्री का सर्वप्रथम ज्ञान कोविड–19 में राज्य सरकार द्वारा किये गये लॉकडाउन में अपीलाण्ट के पिता देवीलाल व माता मीरादेवी को मारपीट कर घर से निकाल देने तथा असहाय अवस्था में अपीलाण्ट के ससुराल धोलीपाल में आकर रहने तथा उनके द्वारा सर्वप्रथम प्रकट किये जाने पर कि रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 व 9 ने चक 2 एसटीबी की समस्त भूमि अपने नाम लगवा ली अब वे उसका व उसकी पत्नी का भरण पोषण नहीं कर रहे है तब अपीलाण्ट ने रिकार्ड की जांच कर दिनांक 27.07.2020 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दिनांक 26.09.2018 से दिनांक 27.07.2020 तक की अवधि को माफ करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह अपील अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने का निवेदन किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेंट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दौराने अपील रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 के आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर रेस्पोडेंट संख्या 12 कुलदीप पुत्र श्री शंकरलाल को दिनांक 06.06.2022 को पक्षकार संयोजित किया गया तथा उसके अधिवक्ता उपस्थित आये। रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जबाव प्रस्तुत किया तथा दिनांक 20.04.2023 को रेस्पोडेंट सख्या 3 से 6 व 12 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसका अपीलाण्ट ने दिनांक 04.05.2023 को जबाव प्रस्तुत किया।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्तागण ने अपीलाण्ट को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने व यह अपील मियाद बाहर होने के तर्क प्रस्तुत किये। यह अपील दिनांक 22.09.2020 को उक्त दोनो बिन्दूओं पर रेस्पोडेंट की आपत्ति को सुरक्षित रखते हुये दर्ज रजिस्टर की गई थी। इन दोनो प्रार्थना पत्र पर सर्वप्रथम बहस सुनी गई। स्वीकृततः अपीलाण्ट संख्या 1 श्री देवीलाल की पुत्री है तथा अपीलाण्ट संख्या 2 से 4 श्री देवीलाल की मृत पुत्री की संताने है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने पैतृक सम्पति में अपने अधिकारों की घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया है तथा वादपत्र में वर्णित वंशावली में अपीलाण्ट का नाम भी अंकित किया है। इसके बावजूद उन्हें वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया है तथा देवीलाल के नाम चक 2 एसटीबी के खाता संख्या 25/17 की 6.452 हैक्टेयर भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 व 9 ने अपने अधिकारों की घोषणा करवा ली है। इस निर्णय व डिक्री से अपीलाण्ट प्रत्यक्षतः व सारवान रूप से प्रभावित होना साबित है, इसलिए अपीलाण्ट को बतौर तृतीय पक्षकार यह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

6. जहां तक मियाद का बिन्दू है, अपीलाण्ट ने यह अपील तृतीय पक्षकार की हैसियत से प्रस्तुत की है तथा वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त निर्णय व डिक्री का ज्ञान कोविड–19 में राज्य सरकार द्वारा किये गये लॉकडाउन के दौरान अपीलाण्ट के पिता व माता को रेस्पोडेंट द्वारा मारपीट कर घर से निकाल देने तथा असहाय अवस्था में अपीलाण्ट के पास धोलीपाल आकर रहने व उनके द्वारा यह प्रकट करने पर कि रेस्पोडेंट ने चक 2 एसटीबी की समस्त भूमि अपने नाम लगवा ली है तथा उनका भरण पोषण भी नहीं किया है, इस पर अपीलांट ने दिनांक 27.07.2020 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त कर व अपील प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक खर्चा की व्यवस्था कर ज्ञान के दिवस से अन्दर दो माह यह अपील प्रस्तुत की है।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के इन कथनों का विरोध किया है तथा अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में रेस्पोडेंट ने न्याय दृष्टान्त आर.बी.जे. 2012 पृष्ठ 569 व आर.बी.जे. 2012 पृष्ठ 80 प्रस्तुत कर यह तर्क दिया है कि अपीलाण्ट ने निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 27.07.2020 को प्राप्त करने के बावजूद भी यह अपील दिनांक 21.09.2020 को प्रस्तुत की है।

8. अपीलाण्ट ने यह अपील तृतीय पक्षकार की हैसियत से प्रस्तुत की है तथा वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसका कोई खण्डन रेस्पोडेंट की ओर से नहीं है। ज्ञान के दिवस से यह अपील दो माह की अवधि में प्रस्तुत की गई है। प्रकरण की परिस्थितियों में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. गुणावगुणों पर दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने वादपत्र में चक 2 एसटीबी के खाता संख्या 25/17 की 6.452 हैक्टेयर भूमि पैतृक सम्पति होना स्वीकार किया है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में हुये संशोधन सन् 2005 के अनुसार पैतृक सम्पति में पुत्रियों का भी जन्मतः अधिकार है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने वादपत्र में अंकित वंशावली में अपीलाण्ट का नाम अंकित करने के बावजूद भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस महत्वपूर्ण स्थिति को नजरअंदाज किया है। पैतृक सम्पति के संबंध में घोषणा एवं विभाजन के वादपत्र में पुत्रियां भी आवश्यक पक्षकार है तथा उन्हें पक्षकार बनाये बिना व उन्हें सुने बिना पारित डिक्री विधि विरूद्ध है। अपने इन तर्को के समर्थन में न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी. 2020 (2) पृष्ठ 998 सर्वोच्च न्यायालय व आर.आर.डी. 2008 पृष्ठ 168 प्रस्तुत किये। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने इन तर्को का विरोध करते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर अतिरिक्त साक्ष्य में दस्तावेजों को अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत करते हुए पेश किये गये दस्तावेज इस अपील में सुसंगत नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण के न्याय पूर्ण निर्णय हेतु रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेंट के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अपीलाण्ट ने एक पूर्ववर्ती वाद संख्या 59/2014 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपना हिस्सा तर्क कर दिया था, इसलिए अब अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को चुनौती नहीं दे सकते। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया कि प्रश्नगत भूमि श्री देवीलाल की स्वअर्जित सम्पति है तथा उसके पक्ष में दिनांक 24.07.1996 को सनद खातेदारी प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में इस स्वअर्जित सम्पति में अपीलाण्ट का कोई हक नहीं है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए यह स्थिति प्रकट की कि पूर्ववर्ती वाद में अन्तर्वलित कृषि भूमि चक 2 एसटीबी के खाता सख्या 26/20 की 6.361 है0 भूमि थी तथा इस भूमि से संबंधित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2014 को अपीलाण्ट ने चुनौती अवश्य दी थी तथा इस अपील में हुये राजीनामा में अपीलाण्ट ने उक्त वर्णित 6.361 है0 भूमि की हद तक ही राजीनामा प्रस्तुत किया था तथा तदानुसार इस अपील में निर्णय हुआ। यह निर्णय वर्तमान अपील जिसकी विषयवस्तु चक 2 एसटीबी के खाता संख्या 25/17 की 6.452 है0 भूमि है, पर लागू नहीं होता तथा ना ही अपीलाण्ट पर विबंधन या रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। रेस्पोडेंट ने जिस सनद का उल्लेख किया है, वह भूमि के आंवटन से संबंधित नहीं है बल्कि पैतृक सम्पति के संबंध में धारा 15 एएए के अन्तर्गत जारी खातेदारी अधिकारों से संबंधित है। रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि को पैतृक सम्पति होने का कथन किया है तथा अब अपील के प्रक्रम पर उक्त भूमि स्वअर्जित सम्पति होने का अभिवाक् लेने से विबंधित है तथा रेस्पोडेंट के कथनों के अनुसार यदि यह भूमि स्वअर्जित सम्पति मानी जाती है तो देवीलाल के जीवनकाल में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 से 6 को कोई अधिकार ही अर्जित नहीं हो सकते। कानूनन भी पैतृक सम्पति में अधिकारों का अधित्यजन एक रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही हो सकता है तथा मौखिक हक त्याग विधि अनुसार मान्य नहीं है, अपने इस तर्क के समर्थन में आर.आर.टी. 2011 (1) पृष्ठ 432 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

10. पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रश्नगत कृषि भूमि चक 2 एसटीबी खाता संख्या 25/17 की 6.452 है0 में पुत्रवधू की हैसियत से अपने ससुर के जीवनकाल में 1/3 हिस्सा का घरू बंटवारा अनुसार 2.175

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हैक्टेयर भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है तथा विचारण के दौरान रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 9 ने दिनांक 06.09.2017 को राजीनामा प्रस्तुत किया है। इस राजीनामा में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने 2.555 हैक्टेयर, रेस्पोडेंट संख्या 3 ने 2.175 हैक्टेयर व रेस्पोडेंट संख्या 9 ने 2.148 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होने का कथन कर इस राजीनामा अनुसार डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी अनुसार दिनांक 26.09.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य भी सामने आया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त राजीनामा प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 20.07.2018 को निर्णय व डिक्री पारित कर पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी थी। तत्पश्चात् यह पत्रावली पुनः पेशी में ली जाकर दिनांक 24.08.2018 को पीठासीन अधिकारी ने राजीनामा अनुसार पुनः संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की है व तत्पश्चात् दिनांक 26.09.2018 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अन्तर्गत रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 व 9 ने समस्त 6.452 हैक्टेयर भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। रेस्पोडेंट संख्या 3 व 9 की ओर से कोई काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत नहीं हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा की वैद्यता पर विवेचन किये बिना व अपीलाण्ट के अधिकारों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन डिक्री पारित की है। जहां तक पूर्ववर्ती वादपत्र में पारित डिक्री दिनांक 30.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 17/2015 में हुये राजीनामा का प्रश्न है, इस अपील की विषयवस्तु चक 2 एसटीवी के खाता सख्या 26/20 की 6.361 हैक्टेयर भूमि थी तथा इस राजीनामा में भी प्रश्नगत कृषि भूमि चक 2 एसटीवी खाता सख्या 25/17 तादादी 6.452 हैक्टेयर भूमि देवीलाल के हक व हिस्सा की मानी है तथा इस भूमि की वसीयत भविष्य में राममूर्ति व राजेश्वरी तथा कृष्ण के पक्ष में किये जाने का उल्लेख है। स्वीकृतः देवीलाल अभी जीवित है तथा उसके जीवनकाल में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अन्तर्गत अपीलाण्ट के अधिकारों के विपरीत रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 व 9 ने समस्त भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त की है। पत्रावली पर रेस्पोडेंट ने अपीलाण्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि में हक त्याग किये जाने के संबंध में कोई रजिस्टर्ड विलेख प्रस्तुत नहीं किया है तथा न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी. 2011 (1) पृष्ठ 432 के अनुसार व धारा 17 पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौखिक रूप से अधिकारों का अधित्यजन मान्य नहीं है। प्रश्नगत पैतृक भूमि में अपीलाण्ट का हक व हित नीहित है तथा उक्त विवेचन अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हस्तक्षेप योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2018 अपास्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादपत्र में अपीलाण्ट को पक्षकार संयोजित कर दोनों पक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुये इस प्रकरण का तीन माह के अन्दर निस्तारण करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

12. निर्णय आज दिनांक 11.05.23 को लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

11.5.23

(करतार सिंह पूनियॉ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़